समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540-2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर–452001

क्रमांक : सं.वि.क./2020/254

दिनांक 20.03.2020

//आवश्यक सूचना//

नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) का प्रसार रोकने हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के परिपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर हुई चर्चा अनुसार सर्वसंबंधितो को सूचित कर सलाह दी जाती है कि,

1. आगामी आदेश तक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय व वि.वि. सांस्कृतिक केन्द्र बंद रहेगें।

2. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु सर्वसंबंधितो से अपेक्षित है कि, वे अनावश्यक रूप से प्रांगण में उपस्थित होने से बचे।

3. **सभी मान्यता प्राप्त छात्र संघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि, छात्रों की समस्या को लेकर, वे अपने साथ छात्रों के समूह को लेकर उपस्थित न होवे। समूह का नेतृत्व कर स्वयं समस्या के उचित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास करें।**

4. **मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 268/268/38/2019/2 भोपाल दिनांक 18.03.2019 के अनुसार "शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम प्रदर्शन आदि के आयोजन के पूर्व संस्था प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।"**

5. विश्वविद्यालय के सभी होस्टलो में रहने वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि, अति आवश्यक होने पर ही होस्टल से बाहर निकले व होस्टल में बाहरी आगंतुको को आने से रोके। मुख्य प्रपालक/प्रपालक छात्रावासों में हेंड वॉश/सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, संबद्ध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
3. कुलपति के सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
4. आय.टी. सेन्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता,
छात्र कल्याण विभाग,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इंदौर।